

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27600 वर्ष 2026**

रेखा देवी

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : राम बदन मौर्य

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बदन मौर्य और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री इमरान खान की दलीलें सुनीं।
- यह जमानत याचिका आवेदक को केस क्राइम नंबर 79/2026, धारा 103(1), 333, 115(2), 352, 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन बिछवां, जिला मैनपुरी में मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम दो अन्य लोगों के साथ एफआईआर में दर्ज है और आरोप के अनुसार, आवेदक और अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्ति घायल हो गए और शिकायतकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन एफआईआर और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि मृतक के सिर में चोट पहुंचाने का आरोप सह-आरोपी सुनील कुमार पर लगाया गया है।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक महिला है और वह सह-आरोपी सुनील कुमार की पत्नी है और इसी कारण उसे इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि, इस घटना में दो अन्य व्यक्ति भी घायल हुए थे, लेकिन उनकी चोट रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 25.05.2026 से जेल में है।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया है।
- इससे पता चलता है कि आवेदक का नाम एफआईआर में उसके पति सुनील कुमार सहित दो अन्य लोगों के साथ दर्ज है और एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर मारपीट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की और सह-आरोपी सुनील कुमार ने शिकायतकर्ता के पिता के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई जिससे उनकी मृत्यु हो गई और इस घटना में दो अन्य लोग भी घायल हो गए।

9. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि घायल गवाहों, अर्थात् मुखबिर और अन्य गवाहों ने भी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपने बयानों में एफआईआर के विवरण को दोहराया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि मृतक के सिर में चोट पहुंचाने का आरोप आवेदक पर नहीं बल्कि उसके पति सुनील कुमार पर लगाया गया है।

10. इसके अलावा, इस मामले में मृतक के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं।

11. इसके अलावा, आवेदक मुख्य आरोपी सुनील कुमार की पत्नी है और इसलिए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि केवल इसी कारण से उसे इस मामले में उसके साथ आरोपी बनाया गया है, इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

12. इसके अलावा, आवेदक एक महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 25.05.2026 से जेल में है।

13. अतः, ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक- **रेखा देवी** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Judgment. Not for Legal Use.